



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 7, सोमवार, शके 1937-अप्रैल 27, 2015

Vaisakha 7, Monday, Saka 1937-April 27, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 27, 2015

संख्या प. 2 (20) विधि/2/2015:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 20)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा



- (छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में उपबंध;
- (झ) ऐसे किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाये;
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के साथ सहकार और सहयोग की रीति; और
- (ट) समस्त अन्य मामले जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हों।

(2) विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स विद्या परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे जिन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन प्रस्तुत आर्डिनेन्सों पर राज्य सरकार, उनकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर-भीतर विचार करेगी और या तो उन्हें अनुमोदित करेगी या उनमें उपान्तरण के लिए सुझाव देगी।

(4) विद्या परिषद्, या तो राज्य सरकार के सुझावों को सम्मिलित करते हुए आर्डिनेन्सों को उपान्तरित करेगी या राज्य सरकार द्वारा दिये गये किन्हीं भी सुझावों को सम्मिलित न करने के कारण देगी और ऐसे कारण, यदि कोई हों, के साथ आर्डिनेन्स राज्य सरकार को वापस भेजेगी और उनकी प्राप्ति पर राज्य सरकार विद्या परिषद् की टिप्पणियों पर विचार करेगी और विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों को ऐसे उपान्तरणों सहित या उनके बिना अनुमोदित करेगी।

31. विनियम.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, अपने स्वयं के और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम बना सकेंगे।

32. प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय में प्रवेश सर्वथा योग्यता के आधार पर किये जायेंगे।



(2) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों या ग्रेड और सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर क्रियाकलापों में उपलब्धियों के आधार पर या राज्य स्तर पर या तो समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा या राज्य की किसी एजेन्सी द्वारा संचालित किसी प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों या ग्रेड के आधार पर अवधारित की जा सकेगी:

परन्तु व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार होगा।

33. फीस संरचना.- (1) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी फीस संरचना तैयार करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए गठित समिति के अनुमोदन के लिए भेजेगा।

(2) समिति विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गयी फीस संरचना पर विचार करेगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित फीस-

(क) निम्नलिखित के लिए, अर्थात्-

- (i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति के लिए स्रोत जुटाने के लिए; और
- (ii) विश्वविद्यालय के और विकास के लिए अपेक्षित बचतों के लिए, पर्याप्त है; और

(ख) अयुक्तियुक्त रूप से अधिक नहीं है,

तो वह फीस संरचना का अनुमोदन कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति द्वारा अनुमोदित फीस संरचना तीन वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी फीस संरचना के अनुसार फीस प्रभारित करने का हकदार होगा।

(4) विश्वविद्यालय ऐसी फीस से भिन्न, जिसके लिए वह उप-धारा (3) के अधीन हकदार है, किसी भी नाम से कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा।

